

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-11/ 509

दिनांक 27/08/2019

शुद्धि पत्र

संयुक्त शासन सचिव (बीमा /पेंशन) विभाग , राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प10(7)वित्त(राजस्व)/2013 लूज दिनांक 06.08.2018 एवं वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प01(1)वित्त/राजस्व/16 दिनांक 25.09.2018 की निरन्तरता में प्री, 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशन में संशोधन हेतु पेंशन संशोधन दल में निम्न सहायक लेखाधिकारी-11 को सेकिण्डमेंट बेसिस के आधार पर विभागीय आदेश क्रमांक 1082 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा, सलेअ-11 कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ),टोंक को कोषाधिकारी, टोंक में किये गये पदस्थापन के स्थान पर एवं कोषाधिकारी, टोंक के अनुरोध पर निम्न कार्मिक का पदस्थापन अंकित कार्यालय/विभाग में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम कार्मिक सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	पदस्थापित कार्यालय का नाम (सेकिण्डमेंट बेसिस के आधार पर)
1.	4146	दिनेश कुमार जाजू, सलेअ-11	उपनिदेशक, आयर्वुद विभाग, टोंक	कोषाधिकारी, टोंक (सेकिण्डमेंट बेसिस के आधार पर)

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-11/ 509

दिनांक 27/08/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव , वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
- 3 श्रीसलेअ-11 कार्यालय
- 4 उपनिदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
- 5 अतिरिक्त सचिव, निदेशक महोदया ।
- 6 रक्षित पत्रावली ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-11]